



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा
संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

National Water Development Agency
(Ministry of Water Resources, River Development
and Ganga Rejuvenation, Government of India)

स्पीड पोस्ट द्वारा

संख्या: 8/30/2008-प्रशा./खण्ड-11/1825-67

दिनांक: 30/01/2019

कार्यालय आदेश

दिनांक 24.01.2018 के रा.ज.वि.अ. मुख्यालय के सम संख्यक पत्र का अधिकरण करते हुए रा.ज.वि.अ. में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य से सी.पी.आई.ओ. एवं संबंधित अपीलीय अधिकारी के विवरण निम्नानुसार अद्यतन किए गए हैं:-

क. स.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अधिकारित	अपीलीय प्राधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री रूपेश कुमार सिन्हा	निदेशक (प्रशा.) नोडल अधिकारी एवं सीपीआईओ, रा.ज. वि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली।	रा.ज.वि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली के संबंध में प्रशासन तथा स्थापना से संबंधित सभी मामले। वे सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी भी है।	श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
2	श्री के.पी. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) और मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.ज.वि.अ. नई दिल्ली।	i) तकनीकी मामलों, सतर्कता मामलों तथा अंतर राज्यीय और अंतःराज्यीय नदी परियोजनाओं से संबंधित मामलों के समन्वयन तथा रा.ज.वि. अ. मुख्यालय, साकेत, नई दिल्ली के संबंध में जनशक्ति के कार्यों के लिए रखने और गृहप्रबंधन। ii) नदी जोड़ की विशेष समिति, और उसकी उपसमितियों तथा समूहों और नदी जोड़ पर टास्क फोर्स से संबंधित सभी मामलों।	-वही-
3	श्री रूपेश कुमार सिन्हा	निदेशक (वित्त), रा.ज.वि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली।	सभी लेखा तथा वित्त मामले।	-वही-

कृ.पू.उ.

4	श्रीमती जैन्सी विजयन	निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली।	मल्टी डिसिप्लिनरी एकक से संबंधित सभी मामले।	-वही-
5	श्री अफरोज आलम	अधीक्षण अभियंता, एकक-1, पालिका भवन, नई दिल्ली।	तकनीकी इकाई-1, पालिका भवन, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी मामले।	-वही-
6	श्री मुजफ्फर अहमद	अधीक्षण अभियंता, एकक-11, पालिका भवन, नई दिल्ली।	भारत जल सप्ताह और तकनीकी इकाई-11, पालिका भवन, नई दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी मामले।	-वही-
7	श्री सी.पी.एस. सेंगर,	अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., पटना	अधीक्षण अभियंता, रा.ज. वि.अ., पटना कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ सभी प्रभागों (पटना एवं रांची) से संबंधित सभी मामले।	श्री एन.सी. जैन, मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ., लखनऊ।
8	श्री नागेश महाजन	उप निदेशक, कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ., लखनऊ।	मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ., लखनऊ के कार्यालय से संबंधित सभी मामले।	-वही-
9	श्री एस.सी. अवस्थी	अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर।	अधीक्षण अभियंता, रा.ज. वि.अ., ग्वालियर कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ सभी प्रभागों (ग्वालियर, झांसी, भोपाल तथा जयपुर) से संबंधित सभी मामले।	-वही-
10	श्री बी.एल. शर्मा	अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., भुवनेश्वर।	अधीक्षण अभियंता, रा.ज. वि.अ., भुवनेश्वर कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ सभी प्रभागों (कोलकता, लखनऊ तथा भुवनेश्वर) से संबंधित सभी मामले।	-वही-
11	श्री एन.जी. राव	उप निदेशक, कार्यालय मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।	मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद के कार्यालय से संबंधित सभी मामले।	डॉ० आर.एन. शंखुआ, मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।

12	श्री आर.के. खरबंदा,	अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद)	अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ सभी प्रभागों (हैदराबाद, बेंगलुरु, चैन्नई तथा नागपुर) से संबंधित सभी मामले।	—वही—
13	श्री डी.के. शर्मा	अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., वलसाड।	अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ., वलसाड कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ सभी प्रभागों (वलसाड, वडोदरा तथा नासिक) से संबंधित सभी मामले।	—वही—

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Sumit 29/11/19
(मुजफ्फर अहमद)

निदेशक (प्रशा.) एवं नोडल अधिकारी

प्रति,

1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
3. वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पी.पी.) / वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बी.एम.) / उप सचिव (समन्वय), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सूचना आयुक्त, कल्ब बिल्डिंग, पुराना जे.एन.यु. कैम्पस, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
6. मुख्य अभियंता (मु0) के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
7. मुख्य अभियंता (द0) / (उ0), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद / लखनऊ।
8. निदेशक (तक.) / (वित्त) / (एम.डी.यू.) / (प्रशा.), रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
9. अधीक्षण अभियंता-1 / II, रा.ज.वि.अ., पालिका भवन, नई दिल्ली।
10. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, हैदराबाद / वलसाड / ग्वालियर / भुवनेश्वर / पटना।
11. अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद / नागपूर / बेंगलूरु / चैन्नई / नासिक / वलसाड / वडोदरा / ग्वालियर / भोपाल / झांसी / जयपुर / लखनऊ / भुवनेश्वर / कोलकता / पटना।
12. सहायक अभियंता, अन्वेषण उप-प्रभाग, रा.ज.वि.अ., राजामुन्द्री / रांची।
13. लेखा अधिकारी, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
14. सर्तकता अनुभाग, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
15. सेवमास्टर, रा.ज.वि.अ., साकेत, नई दिल्ली।
16. नोटिस बोर्ड, साकेत / पालिका भवन, नई दिल्ली।
17. कार्यालय आदेश मिसिल।
18. गार्ड फाईल।